कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर (म.प्र.)

पृष्ठांकन क.2613/प्रिंटर –20/2026 मण्डलेश्वर, दिनांक 9/10/2026

समस्त न्यायाधीशगण,
न्यायालय–मण्डलेश्वर/खरगोन/भीकनगांव
बडवाह/सनावद/महेश्वर/कसरावद

की ओर माननीय रजिस्ट्री का ज्ञापन कमांक Reg(IT)(SA)/2026/1619, दिनांक 06.10.2026 की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर (म.प्र.

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

PRINCIPAL SEAT – JABALPUR

No. Reg(IT)(SA)/2026/1619 **Jabalpur, Dated:-06/10/2026**

:: MEMO::

To,

E-mail Received
No. 2451 Date 06/10/26
Time 02:07pm

The Principal District and Sessions Judge,
(All in the State of Madhya Pradesh)

JSA
IA
DA
06/10/26

The Principal Judge,
Family Court,
(All in the State of Madhya Pradesh)

Sub: **Regarding codal life of Laptop computers and printers of Judicial Officers.**

Ref: **Order dated: 18.09.2026.**

As directed, under the subject cited and with reference to above, it is to inform that Hon'ble the Chief Justice vide order dated: 03.10.2026 has been pleased to permit to communicate order dated: 18.09.2026 of Law & Legislative Affairs Department, Govt. of M.P. for information and further necessary action at your end regarding codal value of Laptop computers and printers of the Judicial Officers.

06/10/2026

(F.H. QAZI)
PR.REGISTRAR (IT-SA)

Encl: As Above

जिला एवं सत्र न्यायालय
पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर
क्रमांक 6 OCT 2026
आवेदन क्रमांक 1179
प्रशासनिक अधिकारी

e-mail:-regithcjbp@mp.gov.in **Ph:-0761-2623358**

SCANNED

मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

आदेश

भोपाल, दिनांक 18 /09/2026

फा.क्रमांक ई-883723/2026/21-ब(एक), राज्य शासन, एतद्द्वारा माननीय मंत्रि-परिषद के आयटम क्रमांक 11 दिनांक 15 सितम्बर, 2026 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक 1436/21-ब(एक)/2020 भोपाल दिनांक 03-06-2020 में दर्शित शेष सभी शर्ते यथावत रखते हुए मात्र बिंदु क्रमांक 1.(a) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उपलब्ध कराए गये लेपटॉप, कम्प्यूटर्स एवं प्रिंटर्स की शर्तो के अंतर्गत जीवनअवधि (fixation of codal value) में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :-

मूल्यह्रास अवधि	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	5 वर्ष के बाद
अवशिष्ट मूल्य	75%	50%	25%	10%	5%

Digitally signed by
ANIL KUMAR PATHAK
Date: 18-09-2026
12:36:58

(अनिल कुमार पाठक)
सचिव
म.प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक ई-883723/2026/21-ब(एक), भोपाल दिनांक 18/09/2026

प्रतिलिपि:

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक **Reg(IT)(SA) /2024/1884** जबलपुर, दिनांक 16-12-2024 के परिप्रेक्ष्य में,
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, भोपाल
3. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, मध्यप्रदेश , ग्वालियर,
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

Digitally signed by
HEMANT KUMAR AGARWAL
Date: 18-09-2026 12:39:44

(हेमंत कुमार अग्रवाल)
अतिरिक्त सचिव
म.प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

23 SEP 2026
109116